न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर **41/2018** अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : **राज्य सरकार** बनाम **हुणता राम**

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **जैतासर** अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल **हुणतारा** पुत्र **नेमाराम** जाति **मेघवाल** निवासी **जैतासर** द्वारा ग्राम **जैतासर** के खसरा नम्बर **1115/655** तादादी **21.26 है.** किस्म भूमि **गै.मु.गोचर** भूमि में से **0.10 हैक्टेयर** भूमि पर सम्वत् **2075** में नाजायज **पक्का मकान बनाकर अवैध रूप से** अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया, बाद नोटिस तामिल के गैर सायल वकील ने निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया परन्तु बार–बार समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया। जवाब नोटिस पेश नहीं करनें पर गैर सायल को जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.12.2018 को समय दिया जाना बन्द किया गया एवं गैर सायल के विरूद्ध दिनांक 28.12.2018 को ईकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर **पक्का मकान बनाकर** अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल **हुणताराम** का उक्त खसरा नम्बर **1115/655** तादादी **21.26 है. गै.मु.गोचर** भूमि में से **0.10 हैक्टेयर** भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल **हुणताराम** अतिक्रमी की श्रेणी में आती है।

अतः गैर सायल **हुणताराम पुत्र नेमाराम** जाति **मेघवाल** निवासी **जैतासर** द्वारा ग्राम **जैतासर** के आराजी ख.नं. **1115/655** तादादी **21.26 है. गै.मु. गोचर** भूमि में से **0.10 हैक्टेयर** भूमि का सम्वत् **2075** का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान **0.10 रूपये** का 50 गुणा से **5.00** रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **28.12.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

नायब तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)